सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 16/2016

बउनवान

श्री अरूण सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, क्षेत्र कोटा जोन, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–कोटा **(प्रार्थी)**

बनाम

1. श्री हरिमोहन बंसल पुत्र श्री घनश्याम बंसल, उम्र 49 निवासी शास्त्री मार्केट, बारां। मेसर्स हेमराज अशोक कुमार किरण मार्केट, बारां। (विक्रेता एवं मालिक)
2. मेसर्स भारत गोयल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार गोयल, चुडी बाजार, बारां। मेसर्स गोयल दाल मील, मेलखेड़ी रोड़ बारां (मालिक एवं निर्माता) **(अप्रार्थी)**

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी की ओर से)
2– श्री महेश प्रकाश गौतम एडवोकेट (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 11.04.2018

आवेदक द्वारा प्रकरण इस आशय का पेश किया कि दिनांक 15.10.2015 को समय 03.10 पी. एम. पर **मेसर्स हेमराज अशोक कुमार, किरण मार्केट बारां** पर पहुंचा। वहां पर **श्री हरिमोहन बंसल पुत्र श्री घनश्याम बंसल** विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे कि उपस्थिति में निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ **बेसन (श्री गणेश ब्राण्ड)** 40 किलोग्राम वजन के 10 प्लास्टिक के कट्टे मूल कम्पनी पेक **बेसन (श्री गणेश ब्राण्ड)** आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। आवेदक को **बेसन (श्री गणेश ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर खाद्य वस्तु **बेसन (श्री गणेश ब्राण्ड)** के एक कट्टे को खोलकर उसमें से 2 किलोग्राम बेसन वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता **श्री हरिमोहन बंसल पुत्र श्री घनश्याम बंसल** को रू. 130/– नकद देकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक द्वारा मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए खाद्य वस्तु **बेसन (श्री गणेश ब्राण्ड)** 2 किलोग्राम को एक स्टील की ट्रे में अच्छी तरह हिला मिला कर एकरूप कर चार कांच की शीशीयों में एअर टाईट बन्द किया तथा प्रत्येक पर लेबल तैयार कर डी.ओ. के लेबल चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। आवेदक ने फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़ा, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये। फर्द रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ एवं उप निदेशक कार्यालय जोन कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी. ओ. एवं उप निदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें, कोटा के पत्र क्रमांक एफएसएसए/46(4)/2016/19 दि.01.02.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/2858/एक्ट/2015/2237 दि.21.12.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य वस्तु **बेसन (श्री गणेश ब्राण्ड) मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

डी.ओ. एवं उप निदेशक कार्या. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, परिक्षेत्र कोटा के पत्रांक एफएसएसए/46(4)/2016/19 दिनांक 01.02.2016 द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता को धारा 46(4) के

अन्तर्गत सूचित किया कि अगर खाद्य कारोबारकर्ता उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो आवेदन प्रारूप 8 के जरिये पुनः जांच हेतु अपील कर सकता है। परंतु खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा उक्त अवधि में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। अतः प्रकरण अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक को ज्ञात होने के उपरान्त भी नियम 2.4.1 अनुसार बेसन का नमूना लेने की सूचना निर्माता गोयल दाल मील, मेलखेड़ी रोड, बारां को नहीं दी। आवेदक ने नमूना लेने से पूर्व शीशीयों को साफ नहीं किया और ना ही सील का कोई इम्प्रेशन जिससे सेम्पल को सील किया गया है उसका कोई नमूना फर्द रिपोर्ट पर चस्पा किया है। वक्त निरीक्षण एक ही गवाह उपस्थित था इस प्रकार नियम 2.4.1 का उल्लंघन हुआ है, आवेदक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवे नियमों की पालना नहीं की है। दिनांक 15.10.2015 को लिये गये सेम्पल की जांच रिपोर्ट की सूचना 01.02.2016 को अप्रार्थी क्रम 1 को तथा 31.03.2016 को अप्रार्थी क्रम 2 को देना बताया है परंतु प्रकरण में जांच रिपोर्ट की कोई प्रति गोयल दाल मिल को उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट तारीखी 21.12.2015 की है जबकि नमूना एफ.एस.एल. को 19.10.2015 को भिजवाना बताया है जिसकी जांच रिपोर्ट 14 दिन के अंदर नहीं भिजवाई गई है और ना ही देरी का कोई कारण व जांच में लगने वाले समय के बाबत कोई कारण ही दर्शाया गया है। आवेदक द्वारा जिन कट्टों से नमूना लेना बताया है उन खाली कट्टों को जप्त नहीं किया और ना ही जांच हेतु भेजा है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य वस्तु **बेसन (श्री गणेश ब्राण्ड)** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे मिथ्याछाप **(Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जांच अधिकारी द्वारा **बेसन (श्री गणेश ब्राण्ड)** का नमूना लेने की प्रक्रिया में नियम 2.4.1 की पूर्ण पालना नहीं की है। नमूना लेने की सूचना निर्माता गोयल दाल मील, मेलखेड़ी रोड, बारां को नहीं दी। आवेदक ने नमूना लेने से पूर्व शीशीयों को साफ नहीं किया और ना ही सील का कोई इम्प्रेशन जिससे सेम्पल को सील किया गया है उसका कोई नमूना फर्द रिपोर्ट पर चस्पा किया है। वक्त निरीक्षण एक ही गवाह उपस्थित था इस प्रकार नियम 2.4.1 का उल्लंघन हुआ है, आवेदक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवे नियमों की पालना नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही निराधार होने से निरस्त फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य वस्तु **बेसन (श्री गणेश ब्राण्ड)** जांच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1 को 5000/– एवं अप्रार्थी क्रम 2 को 10000/– कुल 15000/– अक्षरे पंद्रह हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवा कर चालान प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)